	निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय Directorate General of Performance Management अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क Indirect Taxes and Customs ड्रम शेप्ड बिल्डिंग, इंद्रप्रस्थ भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट Drum Shaped Building, I.P. Bhawan, I.P. Estate नई दिल्ली/New Delhi-110002	

कंप्यूटर सं.: 215553

सेवा में,

प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक/प्रधान आयुक्त/आयुक्त /(सभी)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन।

विषय: केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधीनस्थ आयुक्तालयों/निदेशालयों में तैनात हिंदी में अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, राजभाषा अनुभाग से प्राप्त पत्र फा संख्या 1104/06/2025 - हिन्दी (विविध), दिनांक 15.12.2025 का अवलोकन करें जिसके द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति जी के आदेश संबंधी संकल्प 21034/11/2025 - रा. भा. (प्रशिक्षण) दिनांक 20.08.2025 का अग्रेषण किया गया था । (प्रति संलग्न)

2. जैसा कि आपको विदित ही है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीनस्थ आयुक्तालयों में लागू करने के लिए यह महानिदेशालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों के माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों के किए जाने वाले राजभाषा संबंधी निरीक्षणों में इस महानिदेशालय का प्रतिनिधित्व करने के दौरान एवं इस महानिदेशालय द्वारा बोर्ड के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों के किए जाने वाले राजभाषा संबंधी निरीक्षणों में, मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विभिन्न आयुक्तालयों में राजभाषा हिंदी के प्रशिक्षण के लिए बहुत से अधिकारी एवं कर्मचारी अभी तक शेष हैं। इस संबंध में, **संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी संकल्प पत्र दिनांक 20.08.2025 के अनुसार माननीय राष्ट्रपति जी ने आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों (अर्थात "क", "ख" एवं "ग") में स्थित केंद्रीय सरकार के**

कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2035 के अंत तक पूरा कर लिया जाए (संदर्भित संकल्प पत्र की प्रति आपके सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है)।

3. उक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप अपने आयुक्तालय/निदेशालय में तैनात हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण शीघ्र एवं चरणबद्ध रूप से वर्ष 2035 की समाप्ति के पहले दिलवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि माननीय समिति द्वारा दिए गए निदेश एवं सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

4. कृपया इसको परम अग्रता (Top Priority) दी जाए।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीया,

Digitally signed by
Kumar Sheel
Date: 19-01-2026
16:55:18

संलग्न: यथोपरि ।

(कुमार शील)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. उप निदेशक (राजभाषा), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(भारत के राजपत्र भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 20अगस्त, 2025

संकल्प

सं0 21034/11/2025-राभा(प्रशि)- संसदीय राजभाषा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा-संशोधित,1967) की धारा 4 (4) के अंतर्गत इस विभाग के दिनांक 4 नवंबर 1991 के संकल्प संख्या 13015/1/91-राभा (घ) के द्वारा सूचित किए गए थे । उस संकल्प के पैरा 5 के तहत दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 04 जून 2015 के संकल्प संख्या 21034/8/2015-राभा(प्रशि) के तहत ये आदेश दिया गया था कि सभी क्षेत्रों (अर्थात "क","ख" एवं "ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाए ।

2. उक्त संकल्प में पुन: आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों (अर्थात "क","ख" एवं "ग") में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2035 के अंत तक पूरा कर लिया जाए ।

मीनाक्षी जौली

(डॉ.मीनाक्षी जौली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय,लोक सभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविधालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार काउंसिल आफ इंडिया को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

मीनाक्षी जौली

(डॉ.मीनाक्षी जौली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु । उनसे यह अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने सबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
5. बैंकिग प्रभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
6. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
9. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
10. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
13. निदेशक (जनसंपर्क), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
14. संसद का पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
15. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग तथा एकक ।
16. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
17. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
18. सचिव (समिति), संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
19. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, एक्स वाई-68, सरोजनीनगर, नई दिल्ली ।
20. सचिव, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केंद्र, (दिल्ली नगर निगम) 1088-89, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055
21. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 18 वां तल, निजाम पैलेस, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020
22. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय सदन, कमरा नं0 601-ए, सेक्टर-10, छटा तल, सी.बी.डी.बेलापुर,नवी मुंबई-400614
23. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कमरा नं0 302, तीसरा तल, सी.जी.ओ.काम्पलैक्स,कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद 201001
24. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय सदन, 5वां तल, डी विंग, कोरमंगला, बैंगलूरू-560034
25. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कमरा नं0 206, निर्माण सदन, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
26. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय भवन, ब्लाक सी-1, सातवां तल, सेस पी.ओ., कोचीन-682037
27. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,राजगढ रोड, वाई लेन नं0 1, पोस्ट-शिलपुखरी, गुवाहाटी-781003
28. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023
29. अतिरिक्त प्रति- 25